International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पंचायती राज सस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता

डॉ. सतीष कुमार

शोध निर्देशक, सामाजिक विज्ञान विभाग

टॉटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.)

परविन्द्रजीत सिंह

शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान विभाग

टॉटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.)

साराशं –

पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानी जाती है। इनकी कुशलता नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। विकास परियोजनाओं में जन सहभागिता को प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं की प्राचीन काल से अलग–अलग रूपों में स्थापना की। पंचायतें भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। प्राचीन काल में पंचायतों को स्वायत्त स्वशासन की इकाइयां कहा गया है। इनका गठन समाज के उच्च वर्ग से संबंधित वृद्ध सदस्यों द्वारा होता था। महिलाओं के इनके सदस्य होने के प्रमाण नहीं है। इन संस्थाओं में पुरूषों को सदस्यता, मनोनयन या परम्पराओं द्वारा स्वतः ही प्राप्त होती थी। इन सस्थाओं को न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पंचायतों के इस स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहा है। मुगल एवं ब्रिटिश काल में इनकी भूमिका न्यायिक न रह कर प्रशासनिक उद्वेश्यों की पूर्ति करने वाली हो गयी। प्रबन्धात्मक पक्ष गौण हो गया है। मुगल बादशाहों ने इसे भू–प्रबन्ध की संख्या के रूप मे देखा तो अंग्रेजों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे पुनर्जिवित करने का प्रयास किया। दोनों ही कालो में इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक नहीं रहा।

महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके लिए सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तथा विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला और बाल विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मत्रांलय, ग्रामीण विकास मत्रांलय आदि के द्वारा महिलाओं हेतु अनेकानेक उपयोगी कार्यक्रम और योजनाएं परिचालित है।

परिचय

परम्परागत ग्राम पंचायतों का समकालीन पंचायती राज व्यवस्था से कोई मेल नहीं है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था प्रकृति, संगठन, नेतृत्व एवं उद्धेश्य के आधार पर ऐतिहासिक पंचायतों से अलग है। जहां ऐतिहासिक पंचायतों की प्रकृति सामाजिक थी, कार्यक्षेत्र एकाधिक गांवो तक ही सीमित था और नेतृत्व उच्च वर्ग के प्रमुख सदस्यों के हाथों में था, जिनका प्राथमिक उद्धेश्य पंच–परमेश्वर के सिद्वांत पर आधारित न्याय प्रदान करना था। समकालीन पंचायत राज व्यवस्था एक सांविधानिक राजनीतिक संस्था है जिसे त्रि–स्तरीय व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है। अब नेतृत्व प्रजातांत्रिक आधार पर चुने गये नेताओं के हाथ में है, जिनमें आज नयी पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण की वजह से महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व है। अब पंचायतें, योजनाएं बनाने और उन्हें चलाने जैसे कार्यो के साथ व्यवस्था मूलक कार्य भी देखती है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति वास्तविक रूप में उतनी अच्छी नहीं है जितनी क्रियान्वित करने की कोशिश की गई है। सारणी 2.7 के अनुसार 32.8 प्रतिशत राजनीतिक दलों के अनुसार वर्तमान में महिलाओं की स्थिति कठपुतली की तरह है, जिसमें उनके पीछे अन्य व्यक्ति ही राजनीति करते है। अतः तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कुछ राजनीतिक दल भी मानते है कि वर्तमान राजनीति में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मूल उद्वेश्य स्थानीय स्वशासन की ईकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है। इस हेतु नियम, अधिनियम बनाये गये है। लेकिन व्यवहारिक रूप में पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अधिकारों के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संदर्भ में समस्त शक्तियां पूर्णतः पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होनी चाहिए। शक्ति केन्द्र प्रभुत्व सम्पन्न लोगों से हटकर जन साधारण में नीहित होनी चाहिए। सरकारी अनुदानों की राहत पर चलने वाली पंचायतों से न तो लोक शक्ति निकल सकती है न लोक अभिक्रम।

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देने से लोगों की यह सोच थी कि महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनेगी, ग्राम पंचायतों की सदस्य बनेगी, ब्लॉक पंचायतों के पद पर आसीन होगी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेगी तो पुरूषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। उनमें साहस व आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और प्रशंसनीय कदम 8 मार्च, 2008 को महिला दिवस पर तत्कालीन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। यदि यह विस्तारित आरक्षण क्रियान्वित होता है तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल होगी। 2 अक्टूम्बर, 1959 को पंचायती राज के शुभारंभ के अवसर पर जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि "लाखो गांवो के स्तर को ऊंचा उठाना कोई आसान काम नहीं है धीमी प्रगति का कारण सरकारी तंत्र पर हमारी निर्भरता है। वह काम तभी संभव है जब लोग स्वयं अपने हाथ में यह जिम्मेदारी ले।

लोगों से केवल परामर्श लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनके हाथों में प्रभावी शक्ति भी होनी चाहिए"। इस अवस्था की स्थापना पर राय देते हुए प्रो. रजनी कोठारी ने कहा पंचायती राज की स्थापना राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य था। इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था का निर्माण हो रहा है। इससे देश की एकता भी बढ़ रही है। वही लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को सामुदायिक लोकतंत्र के समान तथा पश्चिम के सहभागी से अधिक आधुनिक बताया गया है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया है सशक्तिकरण सतत् चलने वाली एक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से चलती रहती है। महिला सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि पुरूषों की मानसिकता एवं सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ऐसी सही दिशा दी जायें कि वें महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति के लिए वातावरण तैयार कर सके। सशक्तिकरण को नैतिक संवैधानिक दृष्टि से देखा जाने के साथ–साथ महिलाओं की शारीरिक क्षमता, बौद्विक विकास और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक है। सशक्तिकरण को किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से नही ं अपितु उसकी विभिन्न भूमिकाओं के रूप में देखने की आवश्यकता है।

संविधान के 73 वें, 74 वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण व स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों व नीतिनिर्देशक तत्वों में महिला और पुरूष को समानता की स्थिति प्रदान करते हुए भी कुछ विषेष प्रावधान महिलाओं के लिए किये गये है, साथ ही समय–समय पर महिलाओं के लिए कई कानून बनाये गये है। जैसे दहेज विरोधी अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, समान वेतन अधिनियम आदि अनेक कानून है। जिनमें महिलाओं को पुरूषों के बराबर का स्तर प्राप्त है।

महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके लिए सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके तथा विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला और बाल विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मत्रं ालय, ग्रामीण विकास मत्रांलय आदि के द्वारा महिलाओं हेतु अनेकानेक उपयोगी कार्यक्रम और योजनाएं परिचालित है।

छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर पृथक अध्याय रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसके बाद राष्ट्रीय कार्य योजना में बालिका शिक्षा को मुख्य

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रश्न बनाया। नवीं पंचवर्षीय योजना में नारी सबलीकरण के नाम से एक उपयोजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। जिसमें "महिला कल्याण के प्रत्यय को प्रतिस्थापित कर सबलीकरण रखा गया है"।

पंचायती राज सस्थाओं के माध्यम से सशक्तिकरण के माध्यम के प्रयोग में एक और तथ्य सामने आया कि यदि इस प्रयास को आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ दिया जाये तो और भी अधिक रचनात्मक परिणाम सामने आयेगें। राजनीतिक सशक्तीकरण मे कई महिलाएं राजनीतिक शक्ति की प्रथम बार उपयोगकर्ता बनी है। जिनकी सामाजिक स्थितियां, शैक्षिक स्तर और आर्थिक पिछड़ा पन किसी भी तरह उनके पक्ष में नहीं है किन्तु राजनैतिक साझेदारी ने उनकी स्थितियों को सुदृढ़ बनाया है।

राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जहां से शक्ति प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों में उपस्थित महिला सशक्तिकरण के मार्ग के बाधक तत्वों को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है। इस हेतु महिला वर्ग महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाने हेतु संघर्षरत है जो महिलाओं को राज्य विधानसभा व संसद में 50 प्रतिशत सीटे आरक्षित करने का प्रावधान करता है ।

महिला सशक्तीकरण हेतु प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 1996, 1997, 1998, 2000 में अलग–अलग सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 में इस विधेयक पर कोई विचार तक नहीं किया गया है।

प्रस्तुत शोध में महिला सशक्तिकरण व आरक्षण के सैद्वान्तिक पक्ष के अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक पक्ष का आंकलन करने के लिए महिलाओं और पुरूषों के साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं का भी गहन अवलोकन किया गया। महिला आरक्षण के संदर्भ में यह मत उभर कर आया है कि स्थानीय स्तर के समान यदि राज्य विधानसभा एवं संसद में महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण किया जाता है तो वह उनको सशक्त करने की ओर एक प्रयास होगा।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रस्तुत शोध अध्ययन श्रीगंगानगर जिले की महिलाओं चाहें वें पंचायतों में किसी भी पद पर (जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य) कार्य कर रही है कि कार्यशैली में क्या परिवर्तन आया है निश्चित रूप से अब उनकी सहभागिता निरन्तर बढ़ रही है। उनके चुने जाने के बाद जहां कुछ समय तक उनके पतियों ने उनके कार्यो को किया वहीं उनके बाद जल्दी ही महिलाएं अपने कार्यो को भलीभांति समझकर करने लगी है। अब ये नियमित रूप से बैठकों में भाग लेती है तथा खुलकर बोलती है। जहां पहले वे बैठक में हर समय घूंघट या पर्दा में रहती थी वही धीरें–धीरें अब यह प्रवृति समाप्त होने लगी है। जिसे निश्चित रूप से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जा सकता है। जो केवल 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संभव हुआ है अब महिलाएं अपने क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को अच्छी तरह से समझने लगी है। तथा उनके समाधान के लिए प्रयत्नशील है। महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान महिलाओं से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर उन्होनें बड़े ही सहज भाव से दिए। उनका कहना था कि शुरूआत में उन्हें चुनाव लडने तथा वोट मांगने में हिचक होती थी इसलिए वें घरवालों के कहने पर ही चुनाव लड़ती थी। इसके विपरित अब पुरूषों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होनें चुनाव लडते समय अपने क्षेत्र की महिलाओं के विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया, चूंकि महिला ही महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकती है इसलिए चुने जाने के बाद उन बुराईयों को दूर करना चाहती है, जो महिलाओं के विकास में बाधक है।

पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के दौरान निम्न तथ्य उभर कर आएं है –

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सारणी संख्या–1 राजनीति में आने के कारण के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	कारण	कुल	प्रतिशत
1	पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि	95	31.7
2	नाम व पैसा कमाना	60	20.0
3	सामाजिक विकास के कार्य करना	145	48.3
कुल		300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

सारणी संख्या–2 73 वें संविधान अधिनियम से आये परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	परिवर्तन	कुल	प्रतिशत
1	स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का आना	160	53.3
2	चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन	25	8.3
3	अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ना	70	23.3
4	अन्य	45	15
कुल		300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

सारणी संख्या–3 क्षेत्र में किए गए कार्यो के आधार पर वर्गीकरण

क्र. सं.	उत्तर	कुल	प्रतिशत
1	आधारभूत सुविधाओं को ठीक करवाया है	140	46.7
2	शिक्षा का स्तर बढ़ाया है	112	37.3
3	अन्य	48	16
कुल		300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सारणी संख्या–4 कार्यक्षेत्र में पुरूष द्वारा हस्तक्षेप करने के आधार परवर्गीकरण

क्र. सं.	हस्तक्षेप	कुल	प्रतिशत
1	हस्तक्षेप करते है	67	22.3
2	हस्तक्षेप नहीं करते है	149	49.7
3	कोई प्रति उत्तर नहीं	84	28.0
कुल		300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

सारणी संख्या–5 पंचायती राज में सक्रिय भूमिका निभानें में महिलाओं को आई कठिनाईयां

क्र. सं.	कठिनाईयां	कुल	प्रतिशत
1	अशिक्षा	162	54.0
2	राजनीतिक गुटबन्दी	44	14.7
3	पुरूष प्रधानता	94	31.3
कुल		300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

- सारणी 1 में दर्शाया गया है कि चयनित महिला प्रतिनिधियों में से 48.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि वें राजनीति में इसलिए आयी क्योंकि वे सामाजिक विकास के कार्य करना चाहती थी तथा वें भी ऐसे कार्यक्षेत्र में सफलता से काम कर सकती है जहां पुरूषों का वर्चस्व है।
- सारणी 2 के अनुसार महिला प्रतिनिधियों में से 53.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माना है कि पंचायती राज संस्थाओं में 73 वें संविधान अधिनियम से आयें परिवर्तन के बाद महिलाओं में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता आयी है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- सारणी 3 के अनुसार 46.7 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माना है कि उन्होनें अपने क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति को सुधारा है। जैसे – पानी (हैण्डपम्प, एकलबिन्दू योजना आदि), बिजली व शिक्षा का स्तर बढाया है।
- सारणी 4 में दर्शाया गया है कि चयनित महिला प्रतिनिधियों में से 49.7 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है उनके कार्यक्षेत्र संबंधी कार्य में परिवार के पुरूष हस्तक्षेप नहीं करते है।
- सारणी 5 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिला प्रतिनिधियों में से 54.0 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि उनको पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय एवं प्रभावशाली भूमिका निभानें के लिए अशिक्षा जैसी कठिनाई का सामना करना पड़ा , जिससे कई पुरूष अधिकारी सच बताएं बिना किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करवा लेते है। तथा 31.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि उनकों पुरूष प्रधानता के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिससे वें स्वयं निर्णय नहीं ले पाती थी। तथा 14.7 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि उन्हें राजनैतिक गुटबन्दी के कारण पंचायती राज में सक्रिय भूमिका निभानें में कठिनाई आती है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारण के संबंध में अनुभवमूलक अध्ययन के माध्यम से तथा अध्ययनकर्ता द्वारा इन संस्थाओं के कार्य–कारण के प्रत्यक्ष अवलोकन से इन संस्थाओं के कतिपय समस्या क्षेत्रों का अभिज्ञान हुआ है। इनमें से मुख्य समस्याओं का निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया गया है

समस्याएं –

समय–समय पर कुछ मद्दों पर सरकारी और गैर सरकारी लोगों में समुचित तालमेल स्थापित नहीं होता है। अर्थात् विवाद उभरते रहते है जो कि आज के विशेषीकरण के युग में कार्य निर्भरता को प्रभावित करते है।

- पंचायत संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार भी ग्रामीण विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- ग्राम पंचायतों के पास समुचित प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का अभाव होता है। जिससे वें विकास कार्यो में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती है।
- चुनकर आ रही महिलाओं में अपने स्तर पर यह मानसिकता बनी हुई है कि राजनीति पुरूषों का क्षेत्र है जिससे अपना स्थान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है।
- महिला प्रतिनिधियों को अपने राजनीति में कदम रखने या निर्वाचित होने का उद्धेश्य का ज्ञान होना भी उनके राजनीति संबंधी सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता है।

सुझाव–

किसी भी शोध में सुझावों का विशेष महत्व होता है। ये ही वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा समस्याओं के निराकरण का मार्ग खोजा जाता है। ये बताते हैं कि पूरे शोध कार्य के दौरान कौन से तथ्य निकलकर सामने आये और आगे समस्याओं के निराकरण हेतु और क्या उपाय किये जा सकते हैं। शोधकार्य पर आधारित सुझावों द्वारा समसामयिक ज्वलन्त मुद्दों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु नीतियाँ व कार्यक्रमों को बनाकर लागू किया जा सकता हैं। ये सुझाव भविष्य में होने वाले शोध कार्यो एवं नीतियों व कार्यक्रमों को पथ–प्रदर्शन प्रदान कर सकतें हैं। सुझावों द्वारा आगे के शोध कार्यो को गति प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुत शोध से प्राप्त अनुभवों एवं विकसित अर्न्तदृष्टि के आधार पर शोधार्थी द्वारा अग्रलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की जातीं हैं –

- पंचायत चुनावों में महिला जनप्रतिनिधियों को उम्मीदवार बनाने से पूर्व उनकी राय जान लेना चाहिये अर्थात क्या महिला सदस्य अपनी मर्जी (स्वेच्छा) से चुनाव लड़ना चाहती हैं और क्या वे जीत के पश्चात् पूर्ण समर्पण की भावना से अपने दायित्वों का निर्वाह कर पायेंगी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों, दायित्वों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में भली–भाँति शिक्षित–प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जिसमें महिला प्रतिनिधि ही हिस्सा लें उनके परिवार के सदस्य व संरक्षक नहीं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- महिला प्रतिनिधियों को व्यवहारिक तरीकों से उनके कार्यों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।
- अशिक्षित एवं कम शिक्षित महिला जनप्रतिनिधियों को दृश्य–श्रव्य माध्यमों का प्रयोग कर पद सम्बन्धी जानकारी दी जानी चाहिये।
- पुरुषों द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन स्वयं करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। इसमें वे परिवार के सदस्यों का सहयोग तो ले सकती हैं परन्तु किसी भी हाल में उनके दायित्वों का निर्वहन उनके परिवार अथवा संरक्षकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।
- सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे महिला जन प्रतिनिधियों से सहज एवं स्थानीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर सहयोग प्रदान करें।
- पंचायत द्वारा समय–समय पर महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों की सहभागिता का आंकलन किया जाना चाहिए।
- महिला प्रतिनिधियों को स्वयं कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उनके कार्यो की प्रशंसा की जाना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली सभाओं में सामूहिक परिचर्चा आहूत करायी जानी चाहिये ताकि महिला नेतृत्व के प्रति लोग एक–दूसरे से अपने अनुभवो को बाँट सकें।
- पंचायत स्तर पर बुलेटिन प्रसारित कर पंचायत के कार्यो की चर्चा की जानी चाहिए जिसमें महिला सदस्यों के कार्यकलापों पर विशेष चर्चा होनी चाहिए।
- पंचायत में योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने/लागू करने में गैर सरकारी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाना चाहिए।
- समाज में महिला नेतृत्व के प्रति जागरूकता फैलायी जानी चाहिये कि महिलायें आगे बढ़कर अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु कृत संकल्प हो तथा उनमें उनके रास्ते में आने वाली रूकावटों का डटकर मुकाबला करने का साहस पैदा हो।

- सरकारी स्तर पर सर्वशिक्षा हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उनके प्रति जनजागरण किया जाना चाहिये जिसमें बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि सुदृढ़ पीढ़ी के निर्माण के साथ ही समाज व राष्ट्र का विकास सम्भव हो सके।
  पंचायत के प्रत्येक स्तर पर विशेष कर ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित समाजिक कार्यकर्ताओं को सेवायोजित किया जाना चाहिये क्योंकि–

- सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच महिला नेतृत्व के प्रति सहयोगी, पथ–प्रदर्शक, विशेषज्ञ, परामर्शदाता बनकर सहयोग प्रदान कर सकतें है।
- सामाजिक कार्यकर्ता पंचायती राज के विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर कार्य कर सकते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ता महिला जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व, कर्तव्यों एवं कार्य करने हेतु जागरुकता प्रदान कर सकते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ता इन सेवा प्रदाताओं को समग्र रूप से सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने एवं महिलाओं के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग एवं भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु दिये गये इन सुझावों के माध्यम से पंचायती राज की मौलिक सोच व विकेन्द्रिकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हेतु एक तिहाई आरक्षण संबंधित प्रावधान उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के साथ ही उनके साथ समुचित न्याय करता है। अतः प्रस्तावित शोध के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये है यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाये तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आयेगें।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 1, January 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संदर्भ सूची (List of References Cited)

1. सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (2003) राम आहूजा, रावत पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।
2. रिसर्च मैथ्डोलॉजी, डा. आर.एन. त्रिवेदी, डा. डी.पी. शुक्ला, कालेज बुक डिपो, 83, त्रिपोलिया बाजार जयपुर,
3. जाति एवं राजनीति, भारतीय सामाजिक समस्यायें राम आहूजा 2004, रावत– सूचना भवन, नई दिल्ली–11003
4. पंचायती राज विकास का राज, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2008 – सूचना भवन, नई दिल्ली–11003
5. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च 2008 – सूचना भवन, नई दिल्ली–11003
6. हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया : एच.टी.टी.पी./वीकीपीडिया ओ.आर.जी. इन
7. रिथिकिंग दा रोटेशन टर्म ऑफ रिर्जवड सीटस् फॉर वीमन इन पंचायती राजः डा. नुपुर तिवारी–कॉमन वेल्थ जनरल ऑफ लोकल गवनरनेन्स – Wikipedia, 2009
8. पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन उमा लवानियां – 2000
9. समाचार पत्र : इण्डियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंण्डिया, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि।
10. शोध पत्रिकायें : समाज वैज्ञानिककी, समाज कल्याण, नवज्योति, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, आऊटलुक, योजना आदि।
11. भारत सरकार, वार्षिक रिर्पोट, महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली, 1997–98
12. भारत सरकार, सभी के लिए शिक्षा, भारतीय परिदृश्य, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनवरी, 1994

13. भारत सरकार, भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 1991